लोक संकल्प पत्र 2022

RLD का घोषणापत्र

/RashtriyaLokDal /RLDParty

प्रस्तावना

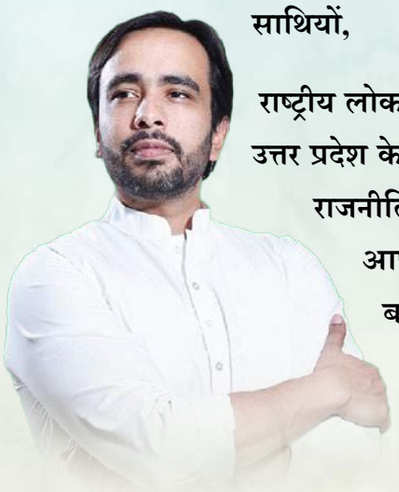

साथियों,

राष्ट्रीय लोक दल का घोषणा पत्र, लोक संकल्प 2022 आने वाले 5 सालों के लिए उत्तर प्रदेश के विकास का रोडमैप है। आज की राजनीति मुद्दाविहीन हो गयी है। अब राजनीतिक दल आपके मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि आपके पास भी उनसे हिसाब लेने के लिए कुछ नहीं है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आपके जीविका से जुड़े मुद्दों के हल के लिए संघर्ष, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का अहम हिस्सा रहा है।

देश की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी है। ऐसे में देश का विकास, उत्तर प्रदेश के विकास के बिना संभव नहीं है। लेकिन, हमारा देश एवं प्रदेश वर्तमान में कई रोगों से ग्रसित है, जैसे भ्रष्टाचार, सार्वजनिक हित के प्रति निष्ठा की कमी, किसानों की बदहाली, साम्प्रदायिक और जातिगत घृणा, घोर गरीबी और बेरोजगारी तथा अमीर और गरीब के बीच चौंकाने वाली असमानताएं। यदि उपरोक्त स्थिति को और बिगाड़ने दिया तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह, भीमराव अम्बेडकर एवं लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जलाई गई लोकतंत्र की दीपशिखा कहीं बुझ ही न जाए!

अतः राष्ट्रीय लोक दल ने एक ऐसी मजबूत, स्पष्ट और प्रगतिशील नीति को अपनाने का निश्चय किया है जो उत्तर प्रदेश को इस दलदल से निकाल सके। अनेकों सार्वजनिक सभा में संवाद, प्रदेश की जनता से रायशुमारी कर, हज़ारों लोगों से मिलकर उनके विचार और मांगों को समझकर लोक संकल्प 2022 को हमने तैयार किया है। नयी ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक का भी इस्तेमाल अपने घोषणा पत्र में आपकी राय लेने के लिए किया। शायद देश में पहली बार किसी पार्टी ने जनता की राय जानने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। और आपको ये जानकर हर्ष होगा की लगभग 5 लाख साथियों ने इस माध्यम से हमें अपने विचार भेजे।

साथियों, लोक संकल्प 2022 के माध्यम से हम अपने निश्चय आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं चाहता हूँ की आप हमारे इस घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़े ताकि जब हमारी सरकार बने तो आप हमारे द्वारा किये गए वादे के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएं। आप से किये गए हर वादे को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्धः हैं। जन कल्याण के लिए हमारे जन प्रतिनिधि और सरकार समर्पित रहेगी।

आपका,

जयन्त सिंह

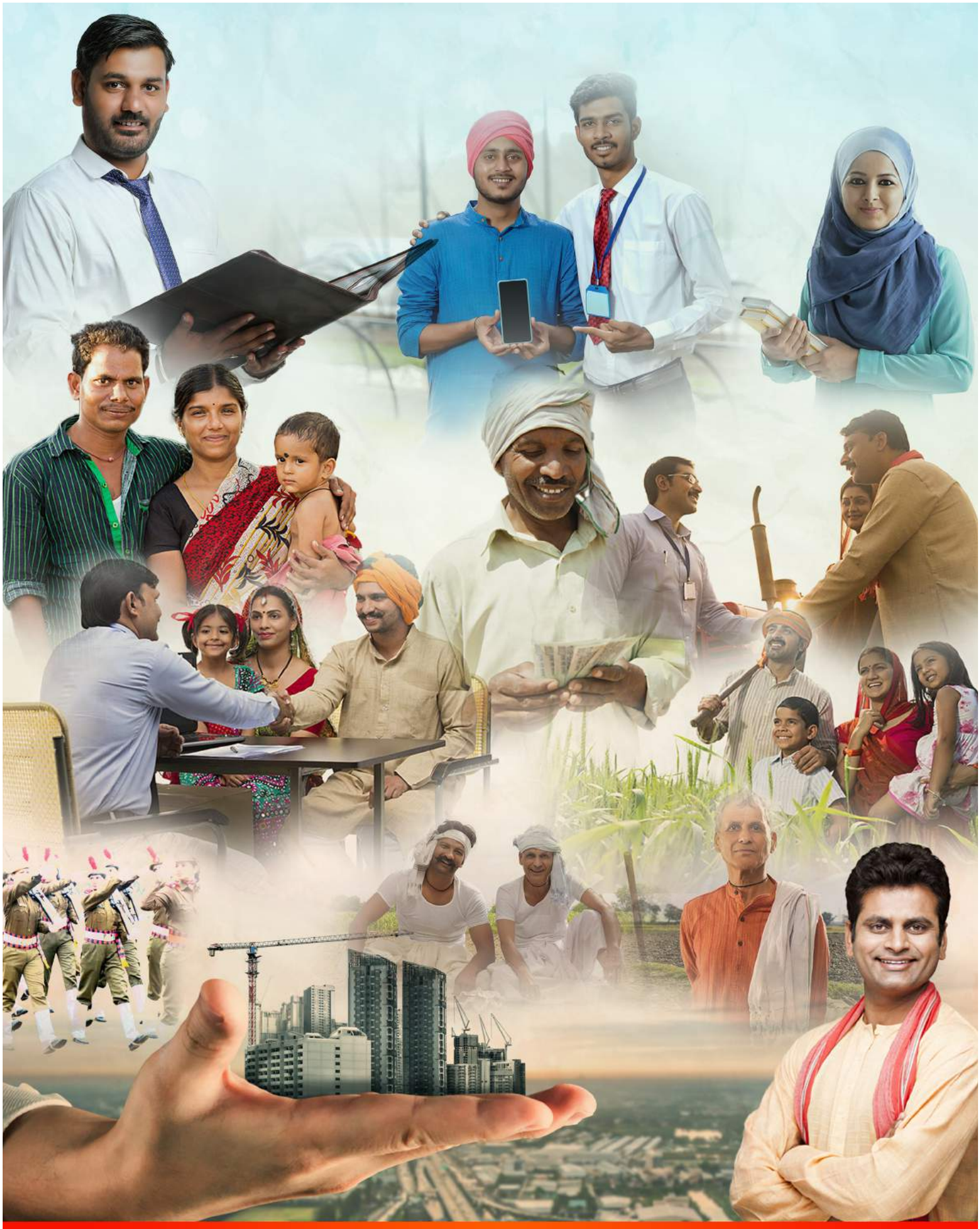

विकास का संकल्प

2022. के 22 संकल्प

01 | एक करोड़ नौकरियां

• राज्य, नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच मौजूदा प्रौद्योगिक इंटरफेस का उन्नयन करेगा - रोजगार संगम।

• निजी क्षेत्र और सामाजिक संगठनों के साथ प्रयासों का समन्वय करना और रोजगार सृजन पर एक मासिक रिपोर्ट प्रदान करना।

• सभी विभागों में सभी रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुए भरेंगे।

• निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य एक नया सार्वजनिक उपक्रम बनाया जाएगा।

• लोक संकल्प 2022 में प्रस्तावित योजनाएं जिनमें कांशीराम शहरी श्रम कल्याण योजना, सृजित नए पद (मुख्य रूप से खेल, स्वास्थ्य और कृषि में) शामिल हैं, इस लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़ा योगदान देंगे।

02 | किसानों को मिलेगा आलू का डेढ़ गुना दाम

• मूल्य निर्धारण के सुस्थापित सिद्धांत का पालन करते हुए राज्य लागत के 150% पर आलू के लिए एमएसपी घोषित करेगा।

• आगरा में एक राज्य आलू अनुसंधान संस्थान और निर्यात प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

03 | गन्ना किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम - 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा

• बोवाई के समय SAP घोषित करना।

• पैसे न देने वाले निजी गन्ना मिलों के खातों का फोरेंसिक ऑडिट।

• पहले सीजन में एसएपी लागत के 150% पर आधारित होगा। इसके बाद, किसानों और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए न्यायसंगत और पारदर्शी मूल्य निर्धारण फॉर्मूला सुनिश्चित करने के लिए मूल्य को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा।

• गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी (डिफॉल्ट करने वाली मिलों का संभवतः अधिग्रहण)।

04 | चौधरी चरण सिंह कृषक सम्मान योजना - दोगुना भुगतान, किसानों का सम्मान।

• केंद्र सरकार द्वारा पीएम सम्मान योजना, जिसमें 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं एवं 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है, उन किसानों को राज्य भी 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करेगा

• राज्य की ओर से किसान दिवस, 23 दिसंबर को सालाना एकमुश्त भुगतान जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर, किसानों को प्रति वर्ष 12000 रुपये मिलेंगे, और असिंचित भूमि वाले छोटे किसानों को प्रति वर्ष 15000 रुपये मिलेंगे।

05 | तीन गुना बढ़ाई जाएगी वृद्धावस्था पेंशन की राशि

• वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 3 गुना, 60-79 वर्ष 1500 रुपये प्रति माह और 80+ वर्ष 2400 रुपये प्रति माह बढ़ाएंगे।

• वृद्धावस्था विकलांगता और वृद्धावस्था विधवा भत्ता 3 गुना बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करेंगे।

06 | सशक्त महिला, सक्षम महिला - भर्तियों में 50% आरक्षण

• सभी विभागों और सभी स्तरों पर पदों की भर्ती में महिलाओं के लिए 50% कोटा

07 | किसानों के लिए प्रभावी बीमा योजना

• राज्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से पीछे हट जाएगा क्योंकि यह योजना किसानी के कार्यों के जोखिम को कम करने में विफल रही है। इस योजना ने सिर्फ निजी बीमा क्षेत्र को मुनाफा प्रदान किया है ।

• विशेषज्ञों, कृषिविदों और प्रतिनिधि निकायों के परामर्श के बाद एक नई प्रभावी बीमा योजना तैयार की जाएगी।

08 | किसानों और बुनकरों के बिजली का पिछला बिल माफ़- आगे का बिल हाफ

• उत्तर प्रदेश ने बिजली दरों में वृद्धि की है जो अब अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए टिकाऊ नहीं है। तदनुसार, हम किसानों और बुनकरों को तत्काल राहत प्रदान करने का इरादा रखते हैं। उपभोक्ताओं के दोनों वर्गों का बकाया माफ किया जाएगा और भविष्य के टैरिफ आधे कर दिए जाएंगे!

• उभरती ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और बिलिंग और उपभोक्ता प्रतिक्रिया के क्षेत्र में बिजली विभाग में दक्षता में सुधार के लिए इसका उपयोग करने के तरीकों को देखने के लिए एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार और लीकेज को पहचानने एवं कम करने में मदद मिलेगी और इस तरह उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा।

09 | पूर्वांचल, बुंदेलखड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना। न्याय के लिए नहीं भटकना पड़ेगा

• राज्य, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच बनाने के लिए काम करेगा। यह राज्य के दूर-दराज में रहने वाले कानूनी समुदाय के लिए फायदेमंद होगा और साथ ही उन नागरिकों के लिए भी आसान होगा, जिन्हें कानूनी उपचार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

10 | नए कृषि कानूनों के विरुद्ध विधान सभा में प्रस्ताव पारित करेंगे

• केंद्र सरकार किसान आंदोलन का सम्मान कर कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करे।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का कानूनी अधिकार बनाया जाय।

• नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध आन्दोलन में मृतक किसानों को शहीद का दर्ज़ा देने व उचित सम्मान का प्रावधान किया जाय।

11 | जनता की सेवक होगी ख़ाकी यूनिफॉर्म

• राज्य, सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह फैसले का पालन करेगा।

• पुलिस भर्ती में तेजी लाई जाएगी और लंबित नियुक्तियों (2016 अधिकारी भर्ती सहित) को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

• पुलिस नौकरियों के लिए आवेदन की आयु 28 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी (सामान्य श्रेणी के लिए + आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट)।

• मनोबल और पुलिस मानकों में सुधार के लिए ड्यूटी के घंटे तय करना और ओवरटाइम लाभ प्रदान करना।

• गृह जिलों के करीब अधिकारियों की तैनाती को सक्षम करने वाली सीमा योजना को हटाना।

• जांच विभाग को कानून-व्यवस्था से अलग करना।

• भर्तियों में महिलाओं के लिए 50% कोटा पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करने और सभी नागरिकों को संवेदनशील पुलिसिंग प्रदान करने के लिए।

12 | माननीय कांशीराम शहरी श्रमकल्याण योजना - मिलेगा हक़, होगा न्याय

• असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों के श्रम की गरिमा सुनिश्चित करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना (नियम बनाने के लिए मनरेगा के अनुभव का उपयोग करेंगे)।

13 | लोकनायक जय प्रकाश नारायण सर्वोदय योजना - पिछड़ों को मिलेगी छात्रवृति - बदलेगी उनकी नियति

• मानव पूंजी पर ध्यान: उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले पिछड़े और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

• विकेन्द्रीकृत शासन: 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा परिकल्पित वास्तविक लोगों के नेतृत्व वाली, निचले स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार का निर्वाहन।

• जाति की बाधाओं को तोड़ना: पारंपरिक जाति-आधारित बाधाओं को चुनौती देने में अंतर्जातीय विवाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को मौजूदा योजना के अनुसार दिए जाने वाले लाभों को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर देगा।

• आर्थिक समानता: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांगों के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप और उपक्रमों के लिए 2500 करोड़ रुपये का उद्यमी कोष। इसके अतिरिक्त, कृषि में पैदावार और राजस्व मॉडल में सुधार के लिए नवाचार और आधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 2500 करोड़ रुपये का एग्री स्टार्ट-अप फंड स्थापित किया जाएगा।

• अंतर्धार्मिक सद्भाव: राज्य बेहतर अंतर-सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों को लागू करेगा और अपने निपटान में सभी तंत्रों का उपयोग करेगा। सभी नागरिकों और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।

14 | गॉव -गॉव डॉक्टर , घर-घर दवाई

• ब्लॉक स्तर पर चालू होने के लिए राज्य एक मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब का नेटवर्क तैयार करेगा।

• प्रति ग्राम पंचायत में 1 स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति।

• निचले स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण।

• नागरिकों को मुफ्त टेलीमेडिसिन प्रदान करने के लिए संजीवनी मोबाइल एप को अपग्रेड करें और संसाधनों को रीयल-टाइम में मैप करें।

• आशा और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भत्तों में वृद्धि।

• अंतिम छोर अर्थात पीएचसी और सीएचसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे का उन्नयन।

• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाकर 8% करना

15 | आधारभूत संरचना का बिछेगा जाल, बेहतर होंगे शहर, रौशन होगा कस्बा और गांव

• उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों के लिए 15 वर्षीय इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान विकसित करेंगे। यह योजना शहरी सीमाओं के विकास, सड़क नेटवर्क को बढ़ाने, मेट्रो के लिए व्यवहार्यता अध्ययन सहित सार्वजनिक परिवहन के मॉडल पर ध्यान देगी। (2011 के अनुसार यूपी में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 64 शहर थे)।

• 2030 तक सभी राज्य बसों (यूपीएसआरटीसी) को ई-बसों में परिवर्तित करना और 25000 बसें बढ़ाएंगे।

• नगर निगम, पालिका परिषदों और नगर पंचायतों सहित सभी रूर्बन क्षेत्रों में 2030 तक सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करना।

• हाथ से मैला ढोना और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोजगार का निषेध लागू करें (राज्य गटर नालियों की सफाई के लिए उपयुक्त आधुनिक उपकरण खरीदेगा)।

• सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों, नालों के किनारे सड़कों का निर्माण।

• लंबित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं (गंगा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) को समयबद्ध तरीके से पूरा करना।

16 | कृषि, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग बजट की व्यवस्था

• 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दोगुना करने का लक्ष्य

• डेयरी किसानों को अन्य राज्यों की तरह 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी

• पशुपालन और डेयरी जैसे विषयों सहित एक अलग कृषि बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये राज्य के विषय हैं और सांसदों और जनता के ध्यान की आवश्यकता है।

17 | नयी खेल नीति - खेलेगा उत्तरप्रदेश, बढ़ेगा उत्तरप्रदेश

• राज्य, खेल और खेल उपलब्धियों के लिए सम्मान की संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास करेगा। यह शैक्षिक पाठ्यक्रम में खेल को जोड़कर और चैंपियनों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान करने के ज़रिए किया जाएगा।

• अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने के लिए एक आक्रामक लक्ष्य और रणनीति निर्धारित करेंगे।

• प्रखंड स्तर पर आधुनिक बहु खेल सुविधाएं सृजित की जाएंगी।

• खेल मित्र का एक नए पद पूर्व खिलाड़ियों से भरे जाएंगे। ये अधिकारी युवाओं को प्रेरित करने और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करने, पंचायतों में खेल के मैदानों को सुरक्षित करने, राज्य भर में खेल सुविधाओं के रखरखाव और उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें प्रदर्शन-आधारित भत्ते के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाएगा।

18 | डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का विजन - रालोद का मिशन

• डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के तकनीकी राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, हम नवाचार के लिए अपने युवाओं की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तदनुसार, कम उम्र में छात्रों को बाजार के सिद्धांतों से अवगत कराने और उनकी अवधारणाओं और आविष्कारों को विकसित करने में मदद करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में ऊष्मायन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• 100 स्टार्ट-अप, वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को सालाना 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और ब्लॉकचेन में रिसर्च पर जोर दिया जाएगा।

• 2030 तक सभी सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर लैब और इंटरनेट लैस किया जाएगा

• अंग्रेजी माध्यम निर्देश

• विश्वविद्यालय परिसरों में वाईफ़ाई हॉटस्पॉट प्रदान करेंगे।

• स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी संसाधन। यह वैश्विक पत्रिकाओं, प्रकाशनों और डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करेगा।

• डॉ एपीजे कलाम यूनिवर्सिटी फॉर ड्रोन एंड पायलटलेस टेक्नोलॉजी। (दक्षिण एशिया में इस तरह की पहली पहल)

• 10 सामाजिक और शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

19 | सबको भोजन - सबको काम

• मनरेगा योजना के अनुसार मजदूरी दरों को बढ़ाकर 320 रुपये (भारत में उच्चतम राज्य द्वारा स्वीकृत श्रम दर) किया जाएगा।

• मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी (वर्तमान औसत 46 दिन है)।

• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को पीडीएस आवंटन में प्रति यूनिट 2 किलो आलू और अनाज का एक विकल्प शामिल करना।

20 | कोविड मृतकों के आश्रितों / परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि

• राज्य कोविड प्रभावित परिवारों की गणना करने के लिए एक ऑडिट करेगा और कोविड से मरने वाले लोगों की असल संख्या की गणना करेगा। राज्य के तरफ से कोविड मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

21 | न्यायिक आयोग से जनता के विरुद्ध लंबित मुकदमों का निस्तारण

• सरकार मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन करेगी। जिन मामलों में राजस्व पर जोखिम न्यूनतम है, सरकारी विभागों के बीच दावों, अनावश्यक अपीलों का निपटारा किया जाएगा।

• आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ जैसे 2 अप्रैल, 2018 के भारत बंद जैसे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से संबंधित मामले वापस ले लिए जाएंगे।

22 | शहीदों का होगा मान - ₹ 1 करोड़ से होगा सम्मान

• सेना, अर्धसैनिक, पुलिस और अग्निशमन विभागों के शहीदों के लिए एक करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

• शहीद ग्राम विकास योजना शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए गांव और बस्तियों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए।

• नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहीद हुए उत्तर प्रदेश के किसानों को शहीद के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अनुक्रम

कृषि एवं किसान.....1

सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार.....6

भूमि सुधार.....9

सामान्य नागरिक सेवाएं एवं न्याय प्रणाली.....11

रोजगार नीति.....12

आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर).....14

उद्योग एवं व्यापार नीति.....16

शिक्षा.....19

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा.....22

पर्यावरण और संधारणीयता.....23

खेल नीति.....25

कला और संस्कृति.....27

विविध.....28

सोच सही अप्रोच नई

कृषि एवं किसान

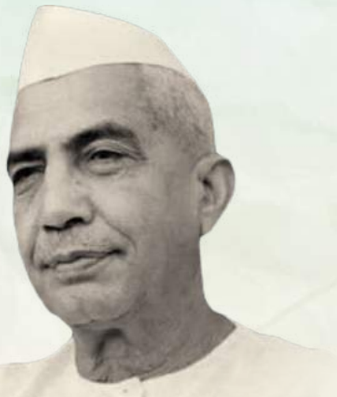

"देश की प्रगति का रास्ता गाँव, खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है"

~ चौधरी चरण सिंह

हर फसल को मिले उचित दाम। किसान की मेहनत का हो सम्मान।।

1. पहले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव रखेंगे की केंद्र सरकार किसान आंदोलन का सम्मान कर कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का कानूनी अधिकार बनाए।
2. जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों सब्जी, फल, दूध, पोल्ट्री आदि को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाय, और मण्डियों में इन उत्पादों की बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य के आरक्षित मूल्य (रिज़र्व प्राइस) से शुरु हो।
3. पूरे देश में कृषि उपज मण्डियाँ इतनी संख्या में बनायी जाय कि प्रत्येक 15-20 गाँवों या कम से कम प्रत्येक विकास खण्ड (ब्लाक) में एक स्मार्ट मण्डी हो, जिसमें सब जिंसों को बेचने की सुविधा उपलब्ध हो। इनके विकास के लिये आधी राशि केन्द्र सरकार दे।
4. मण्डियों में आढ़त व्यापार करने के लिये लाइसेंस प्रणाली समाप्त करके केवल पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के माध्यम से प्रवेश की सुविधा दी जाय ताकि गिने-चुने आढ़तियों द्वारा एकाधिकार जनित शोषण और भ्रष्टाचार समाप्त होकर खुली प्रतिस्पर्धा हो, और किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की छूट हो।

5. नये केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध आन्दोलन में मृतक किसानों को शहीद का दर्ज़ा देने व उचित सम्मान का प्रावधान किया जाय।
6. कृषि विकास दर को दोगुनी करने के लिये प्रभावी समयबद्ध योजना और कार्यक्रम बनें।
7. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सशक्त व प्रभावी बनाने के लिये उसे संवैधानिक आयोग बनाया जाय, जिसमें किसानों का उचित प्रतिनिधित्व हो और उसकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्यकारी हों।
8. कृषि की सभी जिंसों की लागत का आक्कलन औद्योगिक उत्पादों की लागत के फार्मूले के आधार पर किया जाय, जिसमें किसानों की भूमि, पूँजी, मशीनरी की घिसाई (depreciation) आदि का खर्च तथा उचित मुनाफा भी जोड़ा जाय, जो स्वामिनाथन आयोग की सिफारिश है।
9. प्रदेश सरकार के बजट में कृषकों एवं मज़दूरों के कल्याण हेतु अलग से 'कृषक व मज़दूर बजट' पेश किया जायेगा। जिसमें बागवानी, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विकास हेतु विशेष प्रावधान किया जायेगा।
10. किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चौधरी चरण सिंह जी की जयंती 23 दिसम्बर 'किसान दिवस' पर प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12000 रूपये और असिंचित जमीन पर खेती करने वाले लघु व सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 15000 रूपये की धनराशि दी जाएगी। वर्तमान में PM किसान सम्मान निधि, 2 करोड़ 82 लाख किसानों को 6000 रूपये, तीन किश्तों में दी जा रही है। अतिरिक्त राशि एकमुश्त 23 दिसंबर को 'किसान दिवस' पर किसानों के खाते में भेजी जाएगी।
11. किसानों को महंगी बिजली से राहत दिलाने के लिए 'पुराने बिल माफ-बिजली दर हाफ' की योजना को लागू किया जाएगा।
12. गन्ना किसान व उद्योग के विकास सम्बंधित प्रमुख वादे –
13. किसान के बुआई से एक माह पूर्व गन्ने का राज्य परामशर्शिल दाम (SAP) घोषित करना।
14. पहले सत्र में लागत का डेढ़ गुणा SAP घोषित कर इसके पश्चात, गन्ने के दाम को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा।
15. 14 दिनों में गन्ना भुगतान अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले चीनी मिलों के खिलाफं गन्ना क्रय अधिनियम के तहत समयबद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी और ब्याज समेत राशि का निर्धारित समय में भुगतान सुनिशिचित किया जायेगा।

16. चौधरी चरण सिंह जी के निर्देश पर 1978 में बने डिफाल्टर चीनी मिलों को सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने वाले कानून को वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा 2015 में निरस्त किया गया। उसे वापिस लाया जायेगा।
17. हर शुगर मिल में डिस्टिलरी और एथेनॉल सहित कई दर्जन अन्य उत्पाद बन सकते हैं। उनके विनिर्माण को प्रोत्साहन व पूरी छूट दी जायेगी।
18. चीनी मिलों के अलावा भी किसान सहकारी समितियों और छोटी निजी फर्मों व इकाइयों को ये सब उत्पाद बनाने की छूट दी जायेगी।

19. शीरे की बिक्री और मूल्य पर सब नियंत्रण समाप्त किये जायेंगे। शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को नियन्त्रित दाम पर शीरा आवंटन की व्यवस्था समाप्त की जायेगी।
20. उत्तर प्रदेश सरकार GST काउन्सिल में ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों पर जी.एस.टी. दरों को घटाने का प्रस्ताव करेगी। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी सीधे किसान के खाते में दी जाएगी।
21. पशु चालित वाहनों बोगी आदि के टायरों पर जी.एस.टी. की वर्तमान दर कार, ट्रक व ट्रेक्टर टायरों से काफ़ी अधिक है, उसे अन्य टायरों के समान किया जायेगा।
22. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के स्थान पर नवीन 'राज्य फसल बीमा योजना' लागू करेंगे। इस योजना में लघु किसानों के हित को सुरक्षित रखने के लिए, राज्य सरकार प्रीमियम अदा करेगी। यह योजना प्रत्येक किसान को इकाई मानकर लागू की जायेगी। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार का प्रस्ताव भेजा जायेगा कि वह भी अपनी योजना की आमूल समीक्षा और यह संशोधन करे।
23. कृषक दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करेंगे।
24. आवारा पशुओं से फ़सली नुकसान को बचाने हेतु इन पशुओं को पकड़कर सरकारी बाड़ों में रखा जायेगा। बेकार पशुओं को इन बाड़ों में छोडने की सुविधा पशुपालकों को दी जायेगी।
25. कृषि अनुसंधान पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों और कृषि की वर्तमान चुनौतियों से निपटने हेतु कृषि शिक्षा और कृषि शोध पर वर्तमान व्यय को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। प्रदेश के किसान, कृषि वैज्ञानिक वे छात्रों के विकास हेतु, सरकार नवीन शिक्षण संस्थानो की स्थापना करेगी (उदाहरण - मथुरा में बायोऐथनॉल रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का प्रस्ताव)।
26. कृषि स्टार्टअप्स के लिए 2500 करोड़ का विशेष कोश स्थापित होगा। आधुनिकीकरण और सीमित प्राकृतिक संसाधनों में उपज को बढ़ाने वाली विधि, डिजिटल मंडी, खाद्य प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण विषय पर कार्य करने वाले स्टार्टअप्स को वरीयता दो जाएगी।
27. प्रदेश में मार्च 2021 तक 576 किसान उत्पादक संगठन (FPO) पंजीकृत हैं जिन में 2.15 लाख किसान संगठित हैं। किसान की आय बढ़ाने के लिए समूह बनाकर और डिजिटल माध्यम से भी किसान को मंडी से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जायेगी। UP FPO शक्ति पोर्टल के माध्यम से किसान FPO के लिए आवेदन कर सकेंगे। कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ग्राम स्तर पर किसान को FPO के निर्माण के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
28. दुग्ध उत्पादन और देशी नस्लों के पालन व संवर्धन को प्रोत्साहित करने की ठोस योजना बनायी जायेगी।
29. प्रत्येक ब्लाक स्तर पर पशु चिकित्सा, टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। पशु चिकित्सकों का गाँवों में निर्धारित अवधि में दौरा सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यरत पैरावैट/पशुमित्रों को उचित मानदेय दिया जायेगा।
30. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टि से मौजूदा राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 में परिवर्तन किए जाएँगे। सरकार इस क्षेत्र में 5 साल में 25000 करोड़ रुपय का निवेश का लक्ष्य निर्धारित करेगी। विशेष तौर पर चावल, आलू ,मक्का से मेथेनॉल बनाने वाली यूनिट्स और बागवानी पर आधारित उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

31. किसान को अच्छा बीज मिले इसके लिए 'बीज बैंक' की स्थापना की जाएगी। सरकारी फार्मों, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों पर उन्नत बीज उत्पादन कराकर उचित दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इन्हीं संस्थानों द्वारा किसानों के खेतों पर उन्नत प्रमाणित बीज उत्पादन कराया जायेगा।
32. कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से जैविक खेती तथा पॉली हाउस के प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, कृषि विविधीकरण के मॉडल पर जोर देंगे। जैविक उत्पादों के सामूहिक प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
33. सभी राजकीय एवं अनुदान प्राप्त कृषि शिक्षण संस्थानों में उत्तम किस्म के फलों की नर्सरी स्थापित करने और प्रामाणिक पौध किसानों को उचित दामों पर उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त सरकारी अनुदान का प्रावधान किया जायेगा।
34. प्रदेश सरकार आलू किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए MSP घोषित करेगी जो लागत के डेढ़ गुना मूल्य पर आधारित होगा। आलू को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़कर अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति यूनिट राशन के अतिरिक्त 2 किलो आलू भी दिया जाएगा।
35. आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र एवं निर्यात जोन की स्थापना की जायेगी।
36. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए तथा किसानों की उपज को संरक्षित करने हेतु राज्य में हर जिले में गोदाम, शीत गृह तथा पैकहाउस की सुविधाएं बढ़ाई जायेगी।
37. अभी हाल में उत्तर प्रदेश के रटौल जनपद बागपत में विकसित 'रटौल' आम को भौगोलिक नाम (G.I. Tag) मिला है। इसी की भाँति उत्तर प्रदेश के बनारसी लंगड़ा, लखनऊ का दशहरी, चौसा, रामकेला आदि अनेक आमों की विदेश में भारी मांग है। उनके निर्यात हेतु उनकी धुलाई, ग्रेडिंग, डिफंगिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन की समुचित व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की एक ठोस योजना बनायी जायेगी।
38. बाढ़ग्रस्त इलाकों में ग्रामीण आबादी और उनकी फसल को बचाने के लिए स्थायी वृहद् कार्य योजना बनाकर बचाव व राहत की व्यवस्था की जायेगी।
39. ड्रिप और स्प्रिंकलर व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुदान देती हैं। सरकारी तंत्र की अनदेखी और पर्याप्त बजट आवंटन के अभाव में योजना का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसका लाभ गिने-चुने लोगों को मिल पाता है और भ्रष्टाचार होता है। इसे बैंक लोन के साथ सब्सिडी को जोड़कर प्रत्येक प्रार्थी किसान को सीधे बैंक से दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

सिंचाई एवं जल विकास

1. जल संसाधनों के संरक्षण और सिंचाई के विकास हेतु पूरे प्रदेश के लिये एक समग्र समेकित वर्षा जल ग्रहण क्षेत्र आधारित वृहद् योजना बनायी जायेगी, जिसके लिये केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं को एक करके निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जायेगा।
2. गिरते भूजल स्तर से विशेष प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि बुंदेलखंड आदि को इस योजना सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
3. वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के साथ लघु एवं सूक्ष्म (micro) सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर एक राज्यव्यापी समन्वित सिंचाई योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जायेगी। MGNREGA के अंतर्गत कृषि आधारिक संरचना पर कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र और MGNREGA योजना के समावेश से किसान और मज़दूर दोनों को लाभ मिलेगा।
4. उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण नहरी सिंचाई व्यवस्था और कमान क्षेत्रों की विशद समीक्षा करके एक वर्ष के अन्दर बड़ी नहरों, वितरिकाओं और माइनरों का सुधार कर टेल तक पानी पहुँचाने की एक समेकित योजना बनाकर निर्धारित अवधि में क्रियान्वित की जायेगी।
5. सब नहरों की पटरियों को पाँच वर्ष में पक्का किया जायेगा। पुराने जर्जर व छोटे नहरी पुलों का आधुनिक यातायात का भार संभालने के अनुरूप आधुनिकीकरण एवं नये मार्गों के सामने नये पुलों का निर्माण किया जायेगा।

सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार

"क़ानून और व्यवस्था, राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा ज़रूर दी जानी चाहिए।"

~ डॉ॰ भीमराव अंबेडकर

1. संवेदनशील और प्रभावी पुलिस तंत्र के माध्यम से सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार लाया जायेगा।
2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह केस में दिए निर्देश का पालन व तत्काल क्रियान्वयन किया जायेगा।
3. पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का समय निर्धारित कर ओवरटाइम दिया जायेगा।
4. बॉर्डर स्कीम हटाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती गृह जनपद के समीप जिलों में की जायेगी।
5. लंबित भर्ती (2016 दरोगा भर्ती) को पूर्ण किया जायेगा।
6. पुलिसकर्मियों के वेतनमानों और भत्तों में समुचित वृद्धि की जायेगी।
7. पुलिस थानों में तैनात स्टाफ के दो अलग-अलग विंग बनाये जायेंगे। एक विंग कानून व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) के और दूसरा विंग केवल जाँच (इनवेस्टिगेशन) को देखेगा।
8. महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रहे अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस भर्तियों में 50 फीसदी पदों पर महिलाओं की भर्ती की जायेगी।
9. पुलिस की नौकरियों के लिये आवेदन की आयु 28 वर्ष तक बढ़ाई जायेगी। (सामान्य श्रेणी के लिए + आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट दी जायेगी)।

10. महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता योजना लागू की जायेगी|
11. पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार सुधारने के लिये प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा। सरकार पुलिस बल में उचित संस्कार और व्यवहार विकसित करने के दृष्टि से कार्य योजना लागू करेगी।
12. फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज़ की संख्या बढ़ाकर उनकी मदद से अपराधों की जाँच को तेज किया जायेगा।
13. प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों से मुक्त कराने के लिए सांप्रदायिक हिंसा निरोधक कानून बनाया जायेगा, जिससे दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। ऐसे अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान होगा, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।
14. योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की संख्या कम की जायेगी और केवल महत्वपूर्ण योजनाओं को वरीयता दी जाएगी।
15. राष्ट्रीय लोकदल कुशासन और भ्रष्टाचार पर सीधी चोट करने का संकल्प लेता है।
16. देश में लोकपाल व्यवस्था को प्रभावी बनाया जायेगा तथा लोकपाल को ज्यादा अधिकार दिये जायेंगे।
17. सूचना का अधिकार (RTI) कानून को सुदृढ़ किया जायेगा। राज्य सूचना आयोग त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक करेगा, जिसमें प्राप्त आवेदन और निस्तारण का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जायेगा।
18. प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जनसाधारण द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रार्थना पत्रों का एक अलग काउंटर होगा, जिस पर मिले प्रार्थना पत्रों की कम्प्यूटर पावती तुरन्त प्रार्थी को मुहैया करानी होगी।
19. सभी प्रार्थना पत्रों का लिखित कारण सहित निराकरण एक निश्चित समय सीमा में लिखित रूप में करना विभाग/कार्यालय अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
20. जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का प्रभावी क्रियान्वयन होगा, ताकि सरकारी तंत्र की जवाबदेही के नागरिक अधिकार का पूर्ण सम्मान हो।
21. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की आत्मा के अनुरूप ग्राम स्वराज के स्वीकृत अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जायेंगे। पंचायत राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जायेगा ताकि विकास एवं शासन विधि अधिक मजबूत हो सके।
22. बेहतर कार्य कुशलता के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका/निगम आदि की कार्यप्रणाली में उचित सुधार किये जायेंगे।
23. सरकार आम जनता की सरकार होगी। हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिये तथा वाद-विवाद सुलझाने के लिए "आपकी सरकार आपके द्वार" योजना लायी जायेगी। जिसमें जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी समय-समय पर जनता के बीच जाकर सुनवाई करेंगे।
24. नागरिक का अपने जनप्रतिनिधि और सरकार से सीधा संवाद होना आवश्यक है। प्रदेश में लागू नीति और विधान सभा में पारित कानूनी प्रस्ताव पर भी जनता से राय शुमारी होनी चाहिए। इस दृष्टि से सरकार के सभी विभाग विधान सभा में पेश करने से कम से कम 1 महीने पूर्व सभी कानूनों के प्रस्तावें के प्रारूप को सार्वजनिक करेगी। जनता के उचित एवं व्यावहारिक सुझावों को अन्तिम प्रारूप में शामिल किया जायेगा ।

25. मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जा रही आर्थिक सहायता को बिना भेदभाव के नियम अनुसार वितरित किया जायेगा।
26. सरकारी नौकरियों के ग्रुप 'ए' और 'बी' की भर्तियों में निष्पक्षता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पारदर्शिता की दृष्टि से साक्षात्कार को समाप्त किया जायेगा।
27. छोटी प्रशासनिक इकाइयों का राष्ट्रीय लोकदल पक्षधर है।
28. अवैध खनन को समाप्त कर अवैध खनन में लिप्त दोषियों को दंडित कराया जायेगा|
29. मानवीय श्रम और पशुचालित वाहनों और ट्रैक्टर ट्रालियों से रेत आदि पदार्थों के खनन की अनुमति नाममात्र का शुल्क लेकर खुले तौर पर से जायेगी।
30. शराब की बिक्री पर नयी नीति लागू की जायेगी, जिसमें निर्धारित शुल्क देकर कोई भी लाईसेंस धारक निर्धारित क्षेत्रों में दुकान पर तथा ऑनलाइन शराब की बिक्री कर सकेगा। नीलामी और ठेका प्रथा, जिससे अवैध बिक्री और संगठित अपराध होता है, पूर्णत: बन्द कर दी जायेगी।

भूमि सुधार

"हवा और पानी की तरह ही जमीन भी है। उस पर सबका हक है"

~ आचार्य विनोबा भावे

1. पिछले 5 साल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित सभी सरकारी प्राधिकरणों एवं विभागों द्वारा अधिग्रहीत भूमि के आवंटन एवं खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जायेगा। जहाँ भी अनियमितता अथवा पक्षपात का पता चलेगा, उस पर समयबद्ध कानूनी कार्यवाही कर दुरुस्ती का जायेगी और लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही होगी।
2. राज्य लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया जायेगा। यह संस्था सरकारी विभागों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त जमीन का सर्वेक्षण करेगी और सरप्लस ज़मीन को मुद्रीकृत करने का कार्य करेगी।
3. प्रदेश के विभिन्न औद्योगि क्षेत्रों (इंडस्ट्रियल एस्टेट्स) के अंतर्गत आ रही रिक्त जमीनों के सदुपयोग के बाद ही नयी जमीनों को अधिकृत किया जायेगा।
4. कृषि भूमि की भूमि उपयोग परिवर्तन प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार है, जिससे भूस्वामी किसान, निवेशक एवं उद्योग सबका अहित होता है। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 'उच्चाधिकार प्राप्त भूमि सुधार समिति' (हाई पावर्ड लैंड इम्प्रूवमेंट कमेटी) का गठन किया जायेगा जो इस विषय का विशद अध्ययन कर एक समेकित पारदर्शी व्यावहारिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन प्रणाली निर्धारित करेगी।
5. भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत कुछ कार्य किया गया है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है। अभी भी भूमि अधिकार पत्र (लैंड टाइटिल) की पुष्टि एवं विक्रय वाली संपत्ति के स्वामी की पुख्ता पहचान की सही

व्यवस्था नहीं है। संपत्ति की ख़रीद में घोटाले एवं गैरकानूनी पंजीकरण आदि कदाचार (मैलप्रैक्टिस) को रोकने के लिए 'भूमि सुधार हाई पावर्ड कमेटी' भूमि स्वामित्व गारंटी कानून का प्रारूप तैयार करेगी, जिसे अविलम्ब पारित कर लागू किया जायेगा।

6. गाँवों की रिहायशी ज़मीनों को नम्बर देकर उनके मालिकों को प्रमाणित अधिकार पत्र दिये जायेंगे।
7. सभी कृषि भूमि के बटवारे (कुर्राबन्दी) के मामलों को एक निर्धारित अवधि में निपटाने का स्पष्ट निर्देश दिया जायेगा। ऐसा न करने वाले भूराजस्व अधिकारी की सेवा पुस्तिका में नकारात्मक प्रविष्टि का प्रावधान किया जायेगा।

सामान्य नागरिक सेवाएं एवं न्याय प्रणाली

1. नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सरकारी सेवा को जन-जन तक पहुँचाया जायेगा। सरकारी भर्ती, रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण, टेली-मेडिसिन, बैंकिंग, भारतीय रेल अथवा कई सुविधा CSC के माध्यम से एवं डिजिटल माध्यम से नागरिक के द्वार पर उपलब्ध की जायेंगी।
2. सुशासन मूल मंत्र के आधार पर नवीन विधि के माध्यम से सरकारी सेवा स्तर और व्यवस्थाओं में सुधार लाया जायेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार Blockchain विधि का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाली देश में पहली सरकार होगी। इस विधि के प्रयोग से बिजली, शिक्षा, गन्ना, राजस्व विभाग के विवरण/अभिलेखों में व्यापक सुधार संभव होगा।
3. जनता को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिये सरकार ठोस एवं त्वरित कदम उठायेगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना, एवं ट्रिब्युनल्स की स्थापना, पोक्सो कानून के तहत बालकों, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यकतानुसार विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा।
4. लंबित भर्तियों और रिक्त पदों को भरने का काम जल्द पूरा किया जायेगा, ताकि सरकार की कार्यक्षमता बढ़े।

रोजगार नीति

"हम दुनिया में केवल तभी सम्मान पा सकते हैं अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत हैं और देश से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म कर दे।"

~ लाल बहादुर शास्त्री

हर हाथ को काम, सँवारेगा युवा हिंदुस्तान

1. प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी।
2. छह महीनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि सहित सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा घोषित नौकरियों के आवेदन के लिए गरीब उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से कृषि से जुड़े युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किये जायेंगे।
5. निजी क्षेत्र और सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिये राज्य सरकार एक नया सार्वजनिक उपक्रम बनायेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।
6. कृषि से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जायेगा, जिसके लिए 2500 करोड़ रुपये के विशेष कोष की व्यवस्था की जाएगी।
7. 2500 करोड़ रुपये का Entrepreneur फंड जो अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग (डिसेबल्ड) उद्यमियों के व्यवसाय (वेंचर) को वित्त पोषम (फंड) देगा।
8. यूपी रोज़गार संगम ऐप के माध्यम से बेरोज़गारों को सरकारी भर्ती सम्बंधित विस्तृत जानकारी व पंजीकरण कर मंडल स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किये जायेंगे, जिनमें युवा अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी बिचौलिये व शोषण के नौकरी पाकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

9. असंगठित क्षेत्र में चल रहे उद्योग व व्यापार सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहे हैं। इन कुटीर उद्योगों को मुख्यधारा में लाने हेतु सरकार इन्हें व्यवस्थित क्षेत्र में सम्मिलित करने की विशेष योजना बनायेगी। अव्यवस्थित क्षेत्र में कार्यरत e-श्रम पोर्टल में पंजीकरण करने वाले प्रदेश के श्रमिक को सरकार निम्नलिखित लाभ एवं सुविधाएं देगी:

- मा. कांशीराम शहरी श्रमिक सम्मान योजना का लाभ देगी।
- पाँच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का सुरक्षा कवच।

10. बीते वर्षों में सरकारी क्षेत्र में ठेका मज़दूरी प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे में कार्यरत श्रमिक के अधिकार का हनन होता है। उचित क़ानून के माध्यम से श्रमिक हित की रक्षा के लिए सरकार उपयुक्त व्यवस्था करेगी।

आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

"समन्वित बुनियादी ढांचे का निर्माण राष्ट्रीय एकता के कारण को आगे बढ़ाता है" ~ सरदार वल्लभ भाई पटेल

1. 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 64 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा आबादी है। इन सभी शहरों व महानगरों में 15 वर्षीय यातायात मास्टर प्लान विकसित किया जायेगा। इस योजना में शहरों के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए सड़क, सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो फिजिबिलिटी, मल्टी लेवल पार्किंग आदि की व्यवस्था को शामिल किया जायेगा।
2. शहरों में रिंग रोड, अंडरपास, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर आदि के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. प्रदेश की सभी 707 नगरीय स्थानीय निकायों, 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों एवं 490 नगर पंचायतों में 2030 तक सीवरेज का कार्य पूर्ण किया जायेगा।
4. बड़े शहरों व महानगरों में कूड़ा निस्तारण गंभीर समस्या बन चुका है। इसके लिये आबादी के हिसाब से नवीन विकसित सोसाइटियों और आवासीय कॉलोनियों में कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाना अनिवार्य होगा।
5. प्रदेश के बड़े शहरों के लिये इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की क्षमता को दोगुना कर 25000 बसों तक किया जायेगा। 2030 तक सभी बसें इलेक्ट्रिक ऊर्जा से ही संचालित होंगी।

6. लंबित एक्स्प्रेस वे (गंगा, बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे आदि) का समयबद्ध निर्माण किया जायेगा।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल विकसित किया जायेगा। सभी नहरों की पटरियों को पक्का तथा उनका चौड़ीकरण किया जाएगा। सालाना 25000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण कर उत्तर प्रदेश में प्रति आबादी सड़क घनत्व के आँकड़े में सुधार लाया जायेगा।
8. प्रदेश भर में पर्यटन, औद्योगिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों, एक्स्प्रेस वे , तहसील , सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालयों में वाईफाई हाट्स्पाट की सुविधा मुहैया करायी जायेगी।
9. हर घर को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। गाँव के हर घर में बिजली पहुँचने पर ही उस गाँव को पूर्णतया विद्युतिकृत माना जायेगा। यह कार्य एक निर्धारित समयावधि में पूरा किया जायेगा।
10. मिनी ग्रिड पॉलिसी 2016 को निवेशकों के लिये आकर्षक बनाया जायेगा। इस माध्यम से ग्रामसभा स्तर पर पनबिजली, सौर ऊर्जा एवं बायो CNG जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से गाँवों में ही बिजली उत्पादन व वितरण किया जा सकेगा।
11. प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों (अयोध्या,प्रयाग, सारनाथ, मथुरा, काशी आदि) को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों की तर्ज पर विकसित किया जायेगा।
12. प्रदेश में पर्यटन, औद्योगिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां बनवाई जायेंगी। साथ ही विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिये हेलीकॉप्टर टैक्सी भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।
13. नगरीय क्षेत्रों में सबको आवास योजना के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के लिये 10 लाख भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

उद्योग एवं व्यापार नीति

“ ग्रामीण विकास और रोजगार औद्योगिक विकास के आधार स्तंभ होने चाहिए”

~ चौधरी अजित सिंह

1. प्रदेश के स्थानीय व परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा – जैसे कि मेरठ में खेल सामग्री, फिरोज़ाबाद में काँच, आगरा में जूता, मुरादाबाद में पीतल, कन्नौज में इत्र, मुजफ्फरनगर में गुड़-खाण्डसारी आदि। One District, One Product योजना इस क्षेत्र को लाभ नहीं दे पायी है, इसलिए एक-ज़िले-पर-एक-उत्पाद का लक्ष्य बदलकर ‘उद्योग समूह’ व ‘उद्योग केन्द्र (Hub / Cluster) विकसित करने की कार्य योजना बनायी जायेगी।
2. प्रदेश में लघु व कुटीर उद्योग (MSME) को प्रोत्साहन दिया जायेगा इसके लिये सरकार उद्यमियों को सस्ता कर्ज, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मुहैया करायेगी।
3. मान्यवर कांशी राम शहरी श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत असंगठित उद्योग में पंजीकृत कार्यरत मज़दूरों की जीविका में सुधार हेतु सम्मान राशि दी जायेगी। इससे रोज़गार उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण कुटीर और असंगठित क्षेत्र के उद्योग को भी लाभ पहुँचेगा।
4. उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प और बुनकरों की बाजार तक पहुँच सुनिश्चित की जायेगी। FPO की तर्ज़ पर हस्तशिल्प उत्पादक संघ (Artisan Producers Organization - APO) का गठन किया जायेगा। उसमें

बुनकर, कुम्हार, बढ़ई आदि कारीगरों के समूह बनाकर सरकारी सहयोग एवं अनुदान प्राप्त कर अपने उत्पाद विकसित कर सकेंगे और सामूहिक रूप से मंडियों तथा ख़रीदारों तक पहुँचा सकेंगे।

5. हस्तशिल्पियों एवं दस्तकारों के समूह के लिए सामूहिक सुविधा केन्द्र (कॉमन फैसिलिटी सेंटर) बनाये जायेंगे, जिससे वे अपनी गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ा सकें।
6. प्रदेश की नीतियों में पारदर्शिता व स्थिरता लाने के लिए हर औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन योजना (लॉन्ग टर्म प्लान) विकसित की जायेगी।
7. प्रदेश में व्यापारी वर्ग की सुविधाओं का ध्यान रखा जायेगा तथा उनकी समस्या के समाधान के लिए व्यापारी आयोग को सुदृढ़ बनाया जायेगा।
8. प्रदेश संचालित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोले जायेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकें।
9. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा सेवा उद्योग (सर्विस इंडस्ट्री) पर विशेष ध्यान दिया जायोगागा। भारत में 2026 तक 8 बिलियन डॉलर तक अनुमानित निवेश वाले उभरते डेटा सेंटर उद्योग को लक्षित कर निवेशकों के लिए आकर्षक नीति बनायी जायेगी।
10. राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी उद्योगों पर विशेष ध्यान देकर उनको घाटे से उबारने का ठोस प्रयास किया जायेगा।
11. खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों व कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा भूमि और सब्सिडी दी जायेगी। राज्य नवीन खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत 5 साल में 25000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
12. नयी खोज एवं अनुसंधान (Innovation and Research) को बढ़ावा देने के लिये हर वर्ष पेटेंट हासिल करने वाले 100 स्टार्टअप तथा वैज्ञानिकों को 1 करोड़ रुपये का "डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा सम्मान"। Artificial Intelligence, blockchain एवं renewable energy के क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जायेगा।
13. भूमि के क्रय और विक्रय को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 10 लाख तक की अचल सम्पत्ति के पंजीकरण पर स्टांप ड्यूटी दर को 7% से घटा कर मात्र 2% तथा 10 लाख रुपये से ऊपर की सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर महिला वर्ग को स्टांप ड्यूटी पर एक प्रतिशत की छूट देकर 6% की दर लागू की जायेगी।

14. गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

15. ईंट भट्टा उद्योग में नवीन प्रदूषण मुक्त तकनीक को प्रोत्साहित करके इस महत्त्वपूर्ण उद्योग से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जायेगा।

16. उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना तथा संचालन हेतु विभिन्न सरकारी अनुमतियों, आवंटनों एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्रत्येक जनपद में एकल खिड़की (सिंगल विंडो) व्यवस्था की जायेगी। उसके कार्य की देखरेख और समीक्षा हेतु सब विभागाध्यक्षों और चुने हुए जन प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बनायी जायेगी, जिसकी हर माह बैठक होगी।

शिक्षा

"शिक्षा के बिना समझदारी खो गई,
समझदारी के बिना नैतिकता खो गई ,
नैतिकता के बिना विकास खो गया,
इसीलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है"

~ महात्मा ज्योतिबा फुले

उत्तम शिक्षा, उत्तम दीक्षा, उत्तम उज्जवल भविष्य।

1. शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन हेतु पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने हेतु बजट में आवंटन को बढ़ाया जाएगा। सरकारी बजट का 16% शिक्षा के लिये आवंटित किया जायेगा।
2. प्राइमरी शिक्षा में उत्तर प्रदेश के छात्रों का ड्रॉप आउट रेट 8.58% है। नये शिक्षा मिशन के तहत सरकार ऐसे कदम उठायेगी ताकि स्कूली व्यवस्था से जुड़े हुए सभी बच्चे 9वीं कक्षा में निश्चित रूप से दाख़िला लें।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2025 तक प्राइमरी स्कूल व्यवस्था में शत प्रतिशत साक्षरता (universal foundational literacy) का लक्ष्य प्राप्त किया जाय।
4. शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
5. सरकारी शिक्षकों की बॉर्डर स्कीम को समाप्त कर गृह जनपदों के समीप नियुक्ति की जायेगी।
6. सभी स्तरों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर निशिचत अवधि में भर्ती की जायेगी।
7. शिक्षा मित्रों को प्रोत्साहित करने के लिये उनकी समस्याओं के निस्तारण व उचित मानदेय देने के लिये उचित प्रावधान किया जायेगा।

8. उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियम 2018 के अनुसार प्रोफ़ेसर पदनाम वाली संस्तुति को क्रियान्वित किया जायेगा।
9. 2030 तक सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी माध्यम, व्यावसायिक शिक्षा तथा कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
10. प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारित करने की दृष्टि से एक विशेष समिति का गठन किया जायेगा, जिसे निश्चित समय सीमा में अपनी संस्तुति देने का निर्देश दिया जायेगा तथा उन सिफारिशों को तुरंत लागू किया जायेगा।
11. प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब छात्रों का EWS श्रेणी में दाखिला कानूनी रूप से अनिवार्य किया जायेगा।
12. माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक शिक्षा के दौरान कौशल विकास पर जोर देकर शिक्षा को और अधिक जीवन उपयोगी बनाया जायेगा। पाठ्यक्रमों का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद विद्यार्थी की रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु क्षमता में वृद्धि हो सके।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय एवं तकनीकी खोले जायेंगे।
14. सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं में बढ़ोतरी की जायेगी।
15. राजकीय महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार भवन निर्माण कराया जायेगा।
16. प्राइवेट विद्यालयों में भी 12वीं कक्षा तक एन.सी.सी अनिवार्य की जायेगी।
17. उच्च शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा। शोध एवं औद्योगिक संस्थानों का शिक्षण संस्थानों से सतत समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा।
18. प्रदेश के अग्रणी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने का प्रयास किया जायेगा।
19. लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में विधिवत छात्रसंघ चुनाव कराये जायेंगे।
20. स्टार्टअप नीति के तहत स्कूलों एवं कॉलेजों में इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जायेगी।
21. सभी विश्वविद्यालयों के पूरे परिसर (कैंपस) क्षेत्र में Internet Hub की सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।
22. छात्रों के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा दी जायेगी, जिससे देश-विदेश की पुस्तकें तथा अद्यतन अनुसंधान पत्रों (लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स) छात्रों को नि:शुल्क उपलब्ध होंगे।

23. लोकनायक जयप्रकाश नारायण विज़न प्लान के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ उन पिछड़े और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीब वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों में दाख़िला लेते हैं।
24. डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी फार ड्रोन एवं पाइलटलैस टैक्नालाजीज़ (Dr. APJ Abdul Kalam University for Drone & Pilotless Technologies) की स्थापना की जायेगी। यह साउथ एशिया में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी होगी।
25. प्रदेश के 10 शैक्षिक और सामाजिक पिछड़े क्षेत्रों को "सेंटर ओफ़ एक्सीलेंस" में विकसित किया जायेगा।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा

हर गाँव डॉक्टर - हर घर दवाई।

1. स्वास्थ्य सेवाओं पर राज्य बजट में वृद्धि कर कुल व्यय का 8 प्रतिशत आवंटन किया जायेगा।
2. प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब रखी जायेगी।
3. निचले स्तर पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों की योग्यता व कुशलता बढ़ाने हेतु स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दी जायेगी|
4. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जायेगी।
5. आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में उचित बढ़ोतरी की जायेगी।
6. नागरिकों को संजीवनी एप से टेलीमेडिसिन एवं उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की रियल टाइम मैपिंग जानकारी का प्रबंध होगा।
7. स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे का नवीनीकरण किया जायेगा। जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों की जगह नये आधुनिक सुविधा से लैस भवनों का निर्माण किया जायेगा।
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को आधुनिक बनाकर जरूरी सहायता मुहैया करायी जायेगी।
9. स्वास्थ्य विभाग में 6 महीनों के अंदर डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के सभी रिक्त पदों की भर्ती पूरी की जायेगी।
10. प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. कोरोना के कारण जिन अभिभावकों की मृत्यु हुई उनके बच्चों को 18 साल की आयु तक ₹5000 प्रतिमाह देने की व्यवस्था की जायेगी।
12. कोरोना के कारण मृतक के परिवारों को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

पर्यावरण और संधारणीयता

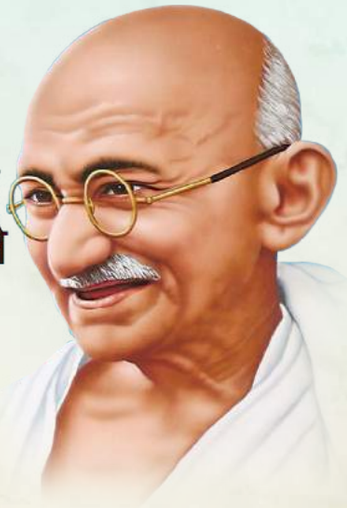

"हम दुनिया के जंगलों के साथ जो कर रहे हैं, वह इस बात का आईना है कि हम अपने और एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं।"

~ महात्मा गांधी

1. नदियों में अनुपचारित अपशिष्ट फैलाने वाले उद्योगों पर भारी जुर्माने तथा सजा का प्रावधान किया जायेगा।
2. 'इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट' द्वारा दूषित पानी को नदियों में पहुँचने से पहले साफ किया जाएगा।
3. औद्योगिक कचरे को सीधे नदियों में न बहाकर STP और 'ऑक्सिडेशन पॉन्ड' जैसी आधुनिकतम विधियों द्वारा शोधन किया जायेगा।
4. उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन केवल 6.15% है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जायेगा और पाँच साल में वन आच्छादन के मानक को 8% करने का लक्ष्य निर्धारित होगा।
5. कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु किसान के खेत पर लगाये गये किसी भी वृक्ष को काटने की छूट दी जायेगी। खेत पर लगे पेड़ों पर वन कानून के प्रतिबंध का को औचित्य नहीं है। उसे समाप्त किया जायेगा। इससे देश में आयात होने वाली लकड़ी तथा कागज़ी लुग्दी आदि में न केवल आत्मनिर्भरता आयेगी, बल्कि निर्यात की भी संभावना बनेगी। किसान को वन कर्मियों एवं अधिकारियों के उत्पीड़न व शोषण से नजात मिलेगी। वन क्षेत्र आच्छादन में स्वत: वृद्धि होगी।
6. जल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाइडलाइंस व निर्देश का पालन 'Zero Tolerance for Polluters' नीति के तहत होगा।

7. पराली जलाने को रोकने के लिये खेतों में नि:शुल्क पूसा संस्थान द्वारा विकसित बायो डी-कंपोजर तकनीक से बने घोल के छिड़काव की शुरुआत होगी। पराली से बायोगैस तैयार करने के लिए बायोगैस प्लांट स्थापित किये जाने को विभिन्न उपायों व अनुदानों से प्रोत्साहित किया जायेगा।
8. उत्तर प्रदेश में एक आकर्षक E- Vehicle Policy बनायी जायेगी। सरकार का लक्ष्य होगा कि राज्य में साल 2025 तक कम से कम 10 परतिशत गाड़ियां बैटरी या विद्युत चालित हों।
9. 2025 तक लगभग 5000 चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे।
10. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक इंसेंटिव्स/अनुदान दिये जायेंगे। इलेक्ट्रिक व बैटरी चालित गाड़ियों पर रोड टैक्स माफ होगा।
11. 2030 तक उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी सरकारी बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा जायेगा।

खेल नीति

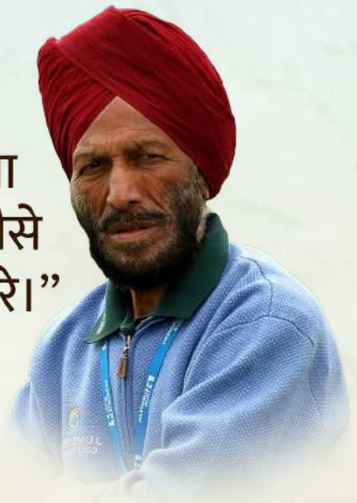

"अभी तक सिर्फ भारत में एक ही मिल्खा पैदा हुआ है , लेकिन में चाहूँगा की मेरे जैसे और भी मिल्खा भारत का नाम रौशन करे।"

~ मिल्खा सिंह

खेलों का प्रोत्साहन, खिलाड़ी का सम्मान।

1. प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नयी खेल नीति बनायी जायेगी।
2. लक्ष्य होगा कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ तथा एशियाई खेलों जैसी अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ी उच्च स्थान हासिल करें। इसके लिये सरकार की ओर से पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की एक समग्र समेकित नीति और कार्य योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाय।
3. सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जायेगी। आकर्षक प्रमोशन पॉलिसी के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जायेगा
4. खेलों के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना के अभाव में कई खेल प्रतिभाएं विकसित नहीं हो पाती। सभी जिलों में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियमों की स्थापना की जायेगी तथा खेलों के प्रशिक्षण के लिए आधुनिक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
5. पूरे उत्तर प्रदेश में सिंथेटिक ट्रैक व इंडोर स्विमिंग पूल आदि का निर्माण होगा।

6. प्रदेश की सभी सरकारी भर्तियों में खिलाड़ियों का 2 फ़ीसदी स्पोर्ट कोटा अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा।
7. प्रदेश के खिलाड़ियों के लिये अंतरराष्ट्रीय कोचिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग एवं पोषक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम व क्रीड़ा केन्द्र में नवोदित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु एक नया पद 'खेल मित्र' का सर्जित होगा, जिस पर किसी नामी पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया जायेगा।

कला और संस्कृति

"अगर धरती खत्म भी हो जाएं,
फिर भी संगीत बचा रहेगा"

~ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान

1. क्षेत्रीय भाषाओं और विधाओं के संगीत, रंगमंच, फिल्म अभिनय और निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
2. प्रदेश की विभिन्न कलाओं और शिल्प को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिये राज्य ललित कला अकादमी से संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की जायेगी।
3. लोककलाओं के संरक्षण और लोक कलाकारों को आजीविका प्रदान करने के लिये जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।

स्थानीय भाषाओं (कौरवी/खड़ी बोली/ब्रज/अवधी/भोजपुरी आदि) के साहित्य रचना एवं प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

विविध

"उसका नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मज़बूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो।"

~ सावित्रीबाई फुले

लोक संकल्प 2022 से हम छुएंगे नयी ऊँचाइयों को।

नारी शक्ति कार्यक्रम

1. विधवा पेंशन 3 गुणा (1500 रुपय प्रति माह) किया जायेगा।
2. महिलाओं को सभी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनेगा।
3. सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रही किशोरियों (Adolescent Girls) को मुफ़्त सैनिटेरी पैड उपलब्ध कराये जायेंगे।

सैनिक अर्द्धसैनिक कल्याण

1. पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना के शहीद जवानों को 1 करोड़ रुपये की शहीद सम्मान निधि दी जायेगी और 'शहीद स्मृति ग्राम विकास योजना' के माध्यम से शहीद जवानों के ग्राम का समुचित विकास किया जायेगा।
2. सेनिक, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के पराक्रमी जवानों के लिये राज्य स्तर पर अवार्ड एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

ग्रामीण भूमिहीन वर्ग कल्याण

1. गाँवों के तालाबों, नदियों के घाटों आदि का पट्टा मल्लाह, निषाद, धोबियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।

वरिष्ठ नागरिक सम्मान

1. वरिष्ठ नागरिक सम्मान पेंशन को तीन गुणा जाने वाली पेंशन को 3 गुणा किया जायेगा। 60-79 वर्ष आयु वालों को 1500 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से ऊपर वालों को 2400 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे।
2. कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए NPS से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करेंगे।

मनरेगा

1. मनरेगा योजना के अनुसार मजदूरी दरों को बढ़ाकर 320 रूपये (देश मे सबसे ज्यादा) किया जायेगा।
2. मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी दी जायेगी, जबकि प्रदेश का वर्तमान औसत मात्र 46 दिन है।

/LokSankalp2022 /LokSankalp2022

हमसे जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप करें:

मिस कॉल नंबर:
+91 - 902 488 2882

व्हाट्सऍप्प
+91 - 830 795 9595

पता: 406 वी.पी. हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली
फोन: 011 23752398 , 011 40728274

/RashtriyaLokDal /RLDParty